तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (1)निगरानी / एल0आर0 / 1931 / 2006 / दौसा ललित किशोर बनाम उगन्तीदेवी (2)निगरानी / एल0आर0 / 1932 / 2006 / दौसा ललित किशोर बनाम उगन्तीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री माघवराज सिंह, अभिभाषक प्रार्थी।

निर्णय **दिनांकः 01.12.2021**

यह दो निगरानियां अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील सं0 47/2005 एवं 48/2005 में पारित निर्णय दिनांक 16–01–2006 बउनवानी ललित किशोर बनाम श्रीमती उगन्तीदेवी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– चूंकि दोनों निगरानियों के तथ्य, पक्षकार एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने एवं विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा दोनों अपीलों का एक साथ निस्तारण किये जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा भी दोनों निगरानियों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

3– प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी निगरानी से संबंधित राजस्व वाद सं0 43/2005 बउनवानी ललित किशोर बनाम मु0 उगन्ती को न्यायालय उप जिला कलक्टर, बांदीकुई ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2007 के द्वारा निर्णित करते हुए प्रार्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया है। न्यायहित में उपरोक्त निगरानी नामान्तरकरण से संबंधित समरी कार्यवाही होने से उक्त निगरानी को स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त निगरानियों को स्वीकार कर निर्णित किया जावें। साथ ही आगे कथन किया कि जब मूल दावे का ही निर्णय हो चुका है तो अब निगरानियां सारहीन हो गई है जिन्हें चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज कर किया जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **(1)निगरानी / एल0आर0 / 1931 / 2006 / दौसा** **ललित किशोर बनाम उगन्तीदेवी** **(2)निगरानी / एल0आर0 / 1932 / 2006 / दौसा** **ललित किशोर बनाम उगन्तीदेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पर योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय उप जिला कलक्टर, बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2007 व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 5– हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने दिनांक 21–9–2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया जिसमें उक्त उनवानी निगरानी से संबंधित राजस्व वाद सं0 43/2005 बउनवानी ललित किशोर बनाम मु0 उगन्ती को न्यायालय उप जिला कलक्टर, बांदीकुई ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2007 के द्वारा निर्णित करते हुए प्रार्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया है। जब मूल दावे का ही निर्णय हो चुका है तो अब दोनों निगरानियां सारहीन हो चुकी हैं जिन्हें खारिज किया जावें। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, बांदीकुई जिला दौसा प्रकरण सं0 43/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2007 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री किया गया है। जब मूल वाद का ही निस्तारण हो चुका है तो अब वर्तमान में लम्बित उक्त दोनों निगरानियां को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से व निगरानियां सारहीन होने से काबिल खारिज योग्य हैं। 6– फलस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार करते हुए दोनों निगरानियां खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति दोनों निगरानियों में संलग्न की जावें। 7– पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	